2.	Under 1st Provision of Article 275(i) of the Constitution	180.80	180.12	356.40
3.	Girls Hostel for Scheduled Tribes	11.66	30.13	18.21
4.	Boys Hostel for Scheduled Tribes	191.62	17.16	23.00
5.	Ashram School for Scheduled Tribes	15.38	—	25.00
6.	Vocational Training Institute in Tribal Areas	—	—	26.10

(b) No Projects have been proposed by Government of Gujarat during 1993-94.

आदिवासी क्षेत्रों में वृद्ध लोगों के लिए आश्रय गृह

1735. **श्री शिव प्रसाद चनपुरिया** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में किन-किन स्थानों पर निराश्रित और उपेक्षित वृद्ध लोगों के लिए आश्रय गृह खोले गए हैं ताकि उन्हें भोजन-यापन की आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करायी जा सकें;

(ख) आदिवासी क्षेत्रों में वृद्ध लोगों के लिए खोले गए ऐसे आश्रय गृहों की संख्या कितनी है तथा उन्हें कहां-कहां खोला गया है;

(ग) ऐसे आश्रय गृहों की संख्या कितनी है जिनका सरकार और स्वयंसेवी संगठनों द्वारा अलग-अलग प्रबंध किया जा रहा है;

(घ) ऐसे आश्रय गृहों की चलाने के लिए स्वयंसेवी संगठनों को सरकार द्वारा सहायता प्रदान किए जाने के मानदंड क्या हैं; और

(ङ) क्या सरकार ग्रामीण आदिवासी क्षेत्रों में स्वयंसेवी संगठनों को ऐसे आश्रय गृह स्थापित करने के लिए सहायता देगी ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) अपेक्षित सूचना दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। **(नीचे देखिये)**

(ख) आदिवासी क्षेत्रों में तमेलालोग मुख्यालय में मात्र एक ही वृद्धाश्रम है।

(ग) सभी 51 वृद्धगृहों का प्रबंध विवरण में दिए गए को शामिल करते हुए, स्वयंसेवी संगठनों द्वारा किया जा रहा है। इस उद्देश्य के लिए सरकार स्वयंसेवी संगठनों को 90 प्रतिशत सहायता अनुदान प्रदान करती है।

(घ) स्वयंसेवी संगठनों को सरकारी सहायता प्रदान करने के लिए मानदण्ड इस प्रकार है :—

(1) क. इसे सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का अधिनियम XXI) के अंतर्गत एक सोसाइटी होनी चाहिए, या

ख. इसे एक श्रमार्थ तथा लाभ न कमाने वाली कम्पनी होना चाहिए, या

ग. फिलहाल लागू किसी कानून के अंतर्गत रजिस्टर्ड एक लोकन्यास होना चाहिए, या

घ. समाज कल्याण के कार्य तथा प्रोत्साहन में लगा कोई रजिस्टर्ड गैर-सरकारी संगठन।

(2) इसे स्पष्ट तौर पर परिभाषित शक्तियों, कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों और एक लिखित संविधान में निर्धारित शर्तों के साथ एक उचित ढंग से गठित प्रबंध निकाय होना चाहिए।

(3) इसे सुविधाओं, संसाधनों तथा कल्याण कार्य करने के लिए कार्मिकों के साथ एक सुव्यवस्थित टिकाऊ संगठन होना चाहिए।

(4) इसे किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के निकाय के लिए लाभ हेतु नहीं चलाया जाना चाहिए।

(5) इस योजना के अंतर्गत सहायता अनुदान के लिए पात्र बनने से पहले संगठन को कम से कम 2 वर्षों तक अस्तित्व में होना चाहिए।

(6) संगठन ने जो उपयोगी कार्य किया है, के साथ अनुदान की मात्रा जो दी जानी चाहिए, उसे वर्षों की संख्या के साथ जोड़ना संभव होना चाहिए।

(7) जाति, लिंग, धर्म अथवा भाषा के भेदभाव बगैर इसकी सेवाएं सभी के लिए खुली होनी चाहिएं।

(8) इसे उस कार्यक्रम या संबंधित क्षेत्र के कार्य करने का अनुभव होना चाहिए या प्रस्तावित योजना को शुरू करने के लिए क्षमता के तथ्य दर्शाने चाहिए।

(ङ) जी हां, ग्रामीण आदिवासी क्षेत्रों के लिए सरकारी सहायता उपलब्ध है।

विवरण

ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानों के नाम दर्शानेवाला विवरण जहां वृद्धावस्था गृहों का निर्माण किया है

राज्य	ग्राम	जिला
आं० प्रदेश	थारलापडु	प्रकाशम
	वनस्थली	तिरुपति
	गारलला	गुन्टूर
	पमीडी	अनन्तपुरम
	गंगाधरनेलथोर	चित्तूर
	चिन्थयागलेम	गुन्टूर
	तेंदूर	रंगारेड्डी
असम	चलेरूपोड़ी	नागांव
बिहार	डामरिया	पटना
महाराष्ट्र	कोवाड	कोल्हापुर
मणिपुर	फायोंग	इम्फाल
उड़ीसा	कुसम्पाड़ा	पुरी
	गोपालपुर	फुलाबनी
	पातापुर	कटक
	सलेपाली	बालासोर
	पडवा	भुवनेश्वर
	कीरानूर	पुडुकोट्टई
तमिलनाडु	गुडियाथम	उत्तरी आरकोट
	मथाकोट्टाई	तंजावुर
उत्तर प्रदेश	खलिलपुर	हरदोई
	पूथ	गाजियाबाद
पश्चिमी बंगाल	पेठाई	कलकत्ता
	सैनपुकुर	मिदनापुर
	विक्रमनगर	मिदनापुर
	हलदिया	मिदनापुर

12 NOON

PAPERS LAID ON THE TABLE

I. Report and Accounts (1991-92) of the National Institute for the Orthopaedically Handicapped, Calcutta and related papers.

II. Report and Accounts (1991-92) of the National Institute for the Physically Handicapped, New Delhi and related papers.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WELFARE (SHRI K. V. HANGKA BALU): Madam. I lay on the Table, a copy each (in English and Hindi) of the following papers :—

I. (a) Annual Report and Accounts of the National Institute for the Orthopaedically Handicapped. Calcutta, for the year 1991-92 together with the Audit Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Institute.

(c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

I Placed in Libra 17. *See* No. L. T. 4259/93]

II. (a) Annual Report and Accounts of the Institute for the Physically Handicapped. New Delhi, for the year 1991-92. together with the Audit Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Institute.

(c) Statement giving reasons for the delay- in laying the papers mentioned at (a) above.

IPlaced in Library. *See* No. L. T. 4192/93]

Memoranda of Understanding between the (Government of India and the Hindustan Zink limited and the Hindustan Copper Limited.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF MINES (SHRI BALRAM SINGH YADAV): Madam. I lay on the Table—

I. A copy (in English and Hindi) of the Memorandum of Understanding between the Government of India (Ministry of Mines) and the Hindustan Zinc Limited for the year 1993-94).

(Placed in Library. *See* No. L. T. 4307/93]

II. A copy (in English and Hindi) of the Memorandum of Understanding between the Government of India (Ministry of Mines) and the Hindustan Copper Limited for the year 1993-94).

IPlaced in Library. *See* No. L. T. 4310/93]